रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

सं. 606] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 1996/आश्विन 30, 1918
No. 606] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 1996/ASVINA 30, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क एवम् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय

अधिसूचना

कानपुर, 14 अक्तूबर, 1996

संख्या 2/96-सीमा शुल्क (एन. टी.)

का. आ.734 (अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 01-07-94 को अधिसूचना संख्या 33/94-सीमा-शुल्क (एन.टी.) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सा पाइप्स लिमिटेड, नन्दगांव रोड, ए-वन, यू पीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, कोसीकलाँ अन्तर्गत तहसील-छाता, जनपद-मथुरा (उ.प्र.) को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 को 52) की धारा 9 के अन्तर्गत भांडागार स्टेशन एतद्द्वारा घोषित किया जाता है ।

[फा. सं.-वी (30) सी.सी.यु./के.एन.पी./215/96]
बी. पी. वर्मा, मुख्य आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER CUSTOMS & CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Kanpur, the 14th October, 1996

No. 02/96-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 734(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94-Customs (N.T.) dated 1-7-94 of the Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, M/s Saw Pipes Ltd, Nandgaon Road, situated at A-1, UPSIDC Industrial Area Kosikalan, Tahsil Chhatta, District, Mathura in the State of Uttar Pradesh is hereby declared to be a warehousing station under section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. V(30) CCU/KNP/215/96]
B.P. VERMA, Chief Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
Published by Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996